स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 88, दिनांकः 15–03–2024

भारतीय सेना में भर्ती हेतु आवश्यक मेडिकल टेस्ट को हास्पिटल के प्रांगण से छद्म पूर्वक पूराकर, कूटरचित नियुक्ति पत्र प्रदान करने एवं सेना की भर्ती प्रक्रिया के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले भारतीय सेना के रिटायर व कोर्ट मार्शल से दण्डित सैनिक सहित 03 गिरफ्तार।

दिनांक 15–03–2023 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 व मिलिट्री इन्टेलीजेन्स लखनऊ की संयुक्त कार्यवाही में भारतीय सेना में भर्ती हेतु आवश्यक मेडिकल टेस्ट को हास्पिटल के प्रांगण से छद्म पूर्वक पूराकर, कूटरचित नियुक्ति पत्र प्रदान करने एवं सेना की भर्ती प्रक्रिया के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले भारतीय सेना के रिटायर व कोर्ट मार्शल से दण्डित सैनिक सहित 03 को लखनऊ से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– हरिओम उर्फ नकुल पुत्र मेघसिंह नि0 माजिद का पुरा, थाना राजाखेडा, जनपद धौलपुर, राजस्थान।
2– अजीत कुमार पुत्र दीनानाथ नि0 मकान नं0 590/511 बल्देव बिहार, तेलीबाग, लखनऊ। (भारतीय सेना से सेवानिवृत्त)
3– पोले वोहना बाला कसइया पुत्र राजा अइया, नि0 एलडीको सौभाग्यम फ्लैट नं0 202 टावर–10 सेक्टर–09 बृन्दावन योजना तेलीबाग, लखनऊ। (कोर्ट मार्शल दण्डित सैनिक)

बरामदगी–

1– 27 अदद सेना से सम्बन्धित पत्र।
2– 02 अदद कूटरचित मोहर।
3– 03 अदद डिपेन्डेण्ट कार्ड।
4– 01 अदद मिनिस्ट्री डिफेन्स अस्थाई पास।
5– 02 अदद सेना आईडी कार्ड।
6– 03 अदद मोबाइल फोन।
7– 10 अदद भर्ती से सम्बन्धित दस्तावेज।
8– 01 अदद मेडिकल रजिस्टर।
9– 04 अदद अंक पत्र।
10– 01 अदद लीव सर्टीफिकेट।
11– 01 अदद एसबीआई कार्ड।
12– 01 आधार कार्ड अंकित सिंह।
13– 01 अदद ब्लैंक चेक एसबीआई।
14– 1,330 रूपये नगद।
15– 01 अदद मोटर साइकिल पीबी 08 बीयू 2183

गिरफ्तारी का स्थान व समयः–

दिनांकः–15–03–2024 समयः–11.56 बजे, स्थानः–कमाण्ड हास्पिटल कैण्ट लखनऊ।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 व मिलिट्री इन्टेलीजेन्स द्वारा पूर्व में सयुक्त कार्यवाही के दौरान भारतीय सेना मे शारीरिक दक्षता पास अभियर्थीयों हेतु आवश्यक मेडिकल टेस्ट पास कराने के

नाम पर धन उगाही करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया था। उक्त प्रकरण में सैनिक पोले वोहना बाला कसइया का नाम प्रकाश में आया था। कोर्ट आफॅ इन्क्वाइरी की प्रक्रिया के बाद सेना से कोर्ट मार्शल किया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार नागर के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 मुख्यालय टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि राजधानी लखनऊ में सेना के किसी सैनिक के साथ मिलकर भारतीय सेना में अभ्यर्थियों के मेडिकल टेस्ट पास करवाने/कूटरचित नियुक्ति पत्र जारी कर बडे पैमाने पर धन उगाही का कार्य किया जा रहा हैं। कमाण्ड अस्पताल के अन्दर कथित आर्मी के लोगों ने फर्जी भर्ती प्रक्रिया हेतु बुलाया है जहां पर इन युवकों का मेडिकल आदि कार्याक्रम होना सम्भावित है कथित आर्मी के लोग अस्पताल की ओपीडी बन्द हो जाने के बाद इन बेरोजगार युवको का मेडिकल करने वाले हैं।

उक्त सूचना पर निरीक्षक दिलीप कुमार तिवारी के नेतृत्व में उ0नि0 विनोद सिंह, मु0आ0 रूद्र नारायण उपाध्याय, मु0आ0 अशोक कुमार गुप्ता, मु0आ0 कौशलेन्द्र प्रताप सिंह, मु0आ0 रवि वर्मा, मु0आ0 राजेश मौर्या व विजय वर्मा की टीम द्वारा आर्मी इन्टेलीजेंस टीम को साथ लेकर उक्त स्थान से तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों पोले वोहना बाला कसइया ने पूछताछ पर बताया कि वह सेना मे नायक के पद पर 2002 में भर्ती हुआ था। वर्ष 2021 में सेना में पैसों के गबन व फर्जी नौकरी दिलवाने के लिये पकडा गया था। जिसके बाद नौकरी से निकाल दिया गया और कोर्टमार्शल होकर जेल चला गया। इस गबन में उसके साथी स्वप्निल सूर्यवंशी व पवन राज को भी सेना से निकाल दिया गया था। वर्ष 2022 में जेल से वापस आने के बाद सेना के लोगों का फर्जी प्रपत्र बनवाकर उनका आसानी से लोन कराकर अच्छा कमीशन कमाने लगा और बैंक के साथ धोखाधडी करता था। इसी दौरान इसका सम्पर्क अजीत जो पूर्व सेना कर्मी है एवं अभिषेक मिश्रा उर्फ अभिराज व हरिओम उर्फ नकुल से हुआ जो पूर्व से ही गिरोह बनाकर बेरोजगार युवकों के साथ सेना में भर्ती कराने के नाम पर 04 से 05 लाख रूपये लेते थे। आज दिनांक 15–03–2024 को भी वह लोग पूर्व नियोजित धोखाधडी के कार्यक्रम के अनुसार हरिओम के द्वारा अपने साथ सुमित, अमन व अकित सिंह को फौज में फर्जी नौकरी दिलवाने के नाम पर फर्जी भर्ती प्रक्रिया हेतु बुलाया गया था जिसमें बाला व अजीत कुमार सेना का अधिकारी बनकर अभ्यर्थियों का फर्जी मेडिकल करा रहा था। जिसके एवज में इन्हे 04 लाख रुपये प्रति अभ्यर्थी मिलना था। धोखाधडी से प्राप्त 21 लाख रूपये बाला अपनी पत्नी नागेश्वरी देवी के पिता के बैंक एकाउन्ट में मंगाया था। प्राप्त धन का समस्त लेखाजोखा उसकी पत्नी ही देखती है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कैण्ट, कमिश्नरेट लखनऊ में मु0अ0सं0 23/2024 धारा 419/420/467/468 भादवि पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।